

राजस्व अपील संख्या 107/2022

अनवान

करनाराम बनाम लिछमणराम

दिनांक 22-6-2022

वकील अपीलांट श्री रोशनलाल उपस्थित । अपीलांट अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र वास्ते अपील की आवश्यक सुनवाई करने एवं उक्त अपील जरिये विद्रोल खारीज करने का प्रस्तुत होने पर उक्त पत्रावली आज तारीख पेशी पर ली गई । अपीलांट अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र मे उल्लेख किया है कि प्रकरण मे आपसी समझाईश से राजीनामा हो गया है इसलिए अपीलांटगण इस अपील को आगे चलाना नही चलाना चाहते है तथा उक्त अपील जरिये विद्रोल खारीज करवाना चाहते है ।

वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर उक्त अपील जरिये विद्रो खारीज की जाती है । पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो । प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया जायें ।

बति • सम्भागीय बायुक्त
बोसपुर